



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 भाद्र 1942 (श0)

(सं0 पटना 558) पटना, शुक्रवार, 11 सितम्बर 2020

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

9 सितम्बर 2020

सं० 11न०वि० RERA विविध-08/2018-645/न०वि०आ०वि०—बिहार भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) नियमावली, 2017 के नियम-29(3) में अंकित प्रावधान के अनुसार भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, बिहार के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं सेवा शर्त एतद् द्वारा निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है —

(i). बिहार भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष को इस पदावधि के अन्तराल में वेतन, भत्ता एवं अन्य सुविधाएँ, नियमित सेवा में होने की स्थिति में उनके सेवा शर्त के अनुरूप अनुमान्य होंगे।

नियमित सेवा से सेवानिवृत्ति के उपरान्त न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के वेतन का निर्धारण अन्तिम "मूल वेतन घटाव मूल पेंशन" के आधार पर किया जायगा, जिस पर समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मँहगाई भत्ता अनुमान्य होगा। अन्य भत्ते एवं सेवा शर्त, सेवानिवृत्ति के समय उनके द्वारा धारित पद के अनुरूप अनुमान्य होंगे।

परन्तु, वेतन तथा भत्ते न्यायाधिकरण में नियुक्ति के ठीक पूर्व अध्यक्ष द्वारा धारित पद के विरुद्ध अनुमान्य वेतन/पेंशन तथा भत्तों से न्यून नहीं होंगे।

(ii). बिहार भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्य को इस पदावधि के अन्तराल में वेतन, भत्ता एवं अन्य सुविधाएँ, नियमित सेवा में होने की स्थिति में उनके सेवा शर्त के अनुरूप अनुमान्य होंगे।

नियमित सेवा से सेवानिवृत्ति के उपरान्त न्यायाधिकरण के सदस्य के वेतन का निर्धारण अन्तिम "मूल वेतन घटाव मूल पेंशन" के आधार पर किया जायगा, जिस पर समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मँहगाई भत्ता अनुमान्य होगा। अन्य भत्ते एवं सेवा शर्त, सेवानिवृत्ति के समय उनके द्वारा धारित पद के अनुरूप अनुमान्य होंगे।

परन्तु, वेतन तथा भत्ते न्यायाधिकरण में नियुक्ति के ठीक पूर्व सदस्य द्वारा धारित पद के विरुद्ध अनुमान्य वेतन/पेंशन तथा भत्तों से न्यून नहीं होंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जय प्रकाश मंडल,
विशेष सचिव।

The 9th September 2020

No.—11न०वि० RERA विविध—08/2018—645/न०वि०आ०वि०—As per the provisions made in the Rule 29(3) of the Bihar Real Estate (Regulation & Development) Rules 2017 the salary, allowance and service conditions of the Chairperson and Members of the Real Estate Appellate Tribunal, is being hereby determined in the following manner :-

- (i). During the tenure as the Chairperson of the Bihar Real Estate Appellate Tribunal, in case of being in the regular service, the salary, allowances and other facilities shall be presumptive to his service conditions.

After retirement from the regular service, the salary of the Chairperson of the Tribunal shall be determined on the basis of “Basic pay - Pension”, on which dearness allowance laid down by the State Government from time to time shall be applicable. Any other allowances and service conditions shall be similar to the post held at the time of retirement.

Provided, the salary and allowances will not be less than the salary / pension and allowances as admissible against the post held by the Chairperson just before the appointment to the Tribunal.

- (ii). During the tenure as the Member of the Bihar Real Estate Appellate Tribunal, in case of being in the regular service, the salary, allowances and others facilities shall be presumptive to his service conditions.

After retirement from the regular service, the salary of the Member of the Tribunal shall be determined on the basis of “Basic pay - Pension”, on which dearness allowance laid down by the State Government from time to time shall be applicable. Any other allowances and service conditions shall be similar to the post held at the time of retirement.

Provided, the salary and allowances will not be less than the salary/ pension and allowances as admissible against the post held by the Member just before the appointment to the Tribunal.

By the order of the Governor
JAI PRAKASH MANDAL,
Special Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 558-571+200-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>